संख्या : 160 जी.आई./33–3–2010–100(10)/2010–टी.सी

प्रेषक,

आर0 के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, अम्बेडकर नगर एवं बांदा।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 20 अगस्त ~~जुलाई~~, 2010

विषयः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए धनराशि आवंटित /स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजनान्तर्गत "विकास अनुदान" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5,72,48,10,000/–(रुपया पॉच अरब बहत्तर करोड़ अड़तालिस लाख दस हजार मात्र) में से रु0–46,38,00,000.00(रुपया छियालिस करोड़ अड़तिस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित 05 जनपदों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनके सम्मुख कालम–3 में अंकित धनराशि एवं कालम–4 में अंकित भारत सरकार के पत्र संख्या एवं दिनांक द्वारा अवमुक्त धनराशि को आपके निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तो सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रम0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपये में)	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का पत्रांक व दिनांक
1	2	3	4
1	सिद्धार्थ नगर	14.05	एन–11019/683/2010–बी.आर.जी.एफ.,दि0–16.07.10
2	सीतापुर	18.61	एन–11019/684/2010–बी.आर.जी.एफ.,दि0–19.07.10
3	अम्बेडकर नगर	4.19	एन–11019/535/2010–बी.आर.जी.एफ.,दि0–20.07.10
4	बांदा	5.18	एन–11019/226/2009–बी.आर.जी.एफ.,दि0–22.07.10
5	हरदोई	4.35	एन–11019/340/2009–बी.आर.जी.एफ.,दि0–22.07.10
	योग–	46.38	

2–(1) उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के लिये बिल जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा तथा उस पर संबंधित जिला पंचायत के वित्तीय परामर्शदाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। शासनादेश संख्या–1919/33–3–2008–100(57)/08, दिनांक 30.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक बचत खाता खोला जायेगा, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा ।

(2) इस धनराशि से वे कार्य ही कराए जाएँगें जिनकी स्वीकृति परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा प्रदान की जाए। परियोजना प्रबन्ध इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई द्वारा प्रस्तुत केवल उन्हीं परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाए जो कि शासनादेश संख्या– 2832/33–3–2008–335/06 दिनांक 28.12.2007 से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति से अनुमोदित है। परियोजना प्रबन्ध इकाई योजनाओं की स्वीकृति एवं

बी0आर0जी0एफ0 विकास अनुदान खाता से धनराशि के आहरण की स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 26.09.2009 के कार्यवृत्त में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(3) समस्त कार्यो/परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार की मार्गनिर्देशिका तथा राज्य सरकार व परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा समय– समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरुप ही किया जाएगा। शासनादेश संख्या– 2832/33–3–2008–335/06 दिनांक 28.12.2007 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार परियोजना प्रबन्ध इकाई सभी प्रोजेक्टस के प्रभावी नियोजन, कियान्वयन व अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी तथा उसके मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण व निर्देशन में उक्त योजनाओं का कियान्वयन किया जाएगा।

(4) जिला पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व नगर निकायों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यो की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको वह जनपद में बी0आर0जी0एफ0 के नोडल अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को दो प्रतियों में उपलब्ध करायेंगे जो कि उसका परीक्षण कर एक प्रति परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को उपलब्ध करायेंगे।

(5) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटित धनराशि को जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगर निकाय को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझी जाए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही है। अतः भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य/परियोजना स्थल का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व व्यय का पूर्ण विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि/भारत सरकार को निर्धारित समयावधि तक उपलब्ध कराना अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा। अतः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत धनराशि का अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मदवार मासिक व्यय विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार संबंधित जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व नगर निकाय द्वारा भी अपने–अपने स्तर पर स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं नियमित रुप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रुपपत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता को उपलब्ध कराए जाएँगें। अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा नियमित रुप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रुप पत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत परियोजना प्रबन्ध इकाई द्वारा स्वीकृत कार्यो पर ही किया जाए और किसी भी दशा में व्यावर्तन नहीं किया जाएगा।